

**कार्यालय अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा,  
इंदौर मण्डल इंदौर, आयुक्त कार्यालय परिसर, मोती बंगला, इंदौर**  
दूरभाष 0731(2430050) ई-मेल [seresindore@mp.gov.in](mailto:seresindore@mp.gov.in)

क्रमांक/673/निविदा/ग्रायांसेवा/2026

इंदौर दिनांक 7/5/2026

**विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक-01/2026-27**

मध्यप्रदेश के राज्यपाल की ओर से ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संगम- महेश्वर, खण्डवा, बुरहानपुर, मनावर एवं इंदौर के निम्नांकित निर्माण कार्य हेतु केन्द्रीयकृत ई-पंजीयन व्यवस्था अंतर्गत सिविल श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से दो लिफाफा पद्धति से ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा संशोधित प्रपत्र एपेडिक्स 2.10 अनुसार अद्यतन संशोधन तथा ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा जारी एस.ओ.आर. दिनांक 11.04.2022 से प्रभावशील दर एवं विद्युतीकरण के कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी विद्युतीकरण एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2024 से प्रभावशील दर के आधार पर ऑन लाईन निविदा आमंत्रित की जाती है। आमंत्रित निविदा शासन के पोर्टल <https://www.mptenders.gov.in> पर देखी जा सकती है। विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	ग्रायांसेवा संख्या	ऑनलाईन टेण्डर आई.डी.	कार्य का नाम	विकासखण्ड	निविदा लागत (PAC) (राशि रुपये में)	अमानत राशि (राशि रुपये में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (राशि रुपये में)	समयावधि (दर्शकाल सहित)	क्रम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	महेश्वर	2026_RES_504434	रिटैनिंगवॉल वॉल एवं सीसी रोड निर्माण कार्य सेवा आश्रम लाडवी तहसील महेश्वर	महेश्वर	2448175/-	48964/-	5000/-	06 माह	प्रथम
2	खण्डवा	2026_RES_504444	शासकीय उर्दू हाई स्कूल छीपाकालोनी में 4 अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य	खण्डवा	4500919/-	50000/-	5000/-	09 माह	द्वितीय
3	खण्डवा	2026_RES_504445	शासकीय हाई स्कूल गरबड़ीमाल में 1 अतिरिक्त कक्ष एवं 3 प्रयोगशाला निर्माण कार्य	हरसूद	4877929/-	50000/-	5000/-	09 माह	द्वितीय
4	बुरहानपुर	2026_RES_504447	सामुदायिक भवन माण्डवा	खकनार	2058614/-	41172/-	5000/-	06 माह	द्वितीय
5	बुरहानपुर	2026_RES_504448	ग्राम पंचायत मोहम्मदपुरा में स्थित मेक्रो विज़न एकेडमी के मुख्य द्वार से लेकर शासकीय स्वशासी आयुर्वेदिक महाविद्यालय के मुख्य द्वार तक आर.सी.सी. रोड	बुरहानपुर	9375443/-	93754/-	10000/-	09 माह	द्वितीय
6	मनावर	2026_RES_504450	सामुदायिक भवन निर्माण चुनपिया	गंधवानी	2058614/-	41172/-	5000/-	06 माह	द्वितीय
7	इंदौर	2026_RES_504451	महाविद्यालयीन बालक छात्रावास भंवरकुआ, इंदौर 300 मीटर बाऊण्ड्री वाल निर्माण कार्य	इंदौर	2840662/-	50000/-	5000/-	06 माह	द्वितीय
8	इंदौर	2026_RES_504452	शासकीय मत्सय बीज प्रक्षेप बिलावली निरीक्षण भवन निर्माण भू-तल एवं प्रथम तल मत्सय विभाग कार्यालय परिसर बिलावली इंदौर	इंदौर	8066039/-	80660/-	10000/-	09 माह	द्वितीय
9	इंदौर	2026_RES_504453	ग्राम रिजलाय में सामुदायिक भवन निर्माण	इंदौर	4133648/-	50000/-	5000/-	09 माह	द्वितीय

E:\SSD D DRIVE\RESUPTODATA UPDATED 09-01-2025\Letter\Year 2026\NIVIDA\NIT 01 2026-2027\Details NIT 11.doc

1- निविदा संबंधी तिथियाँ (Key Dates) :-

- |   |   |                             |
|---|---|-----------------------------|
| 1. निविदा समाचार पत्रों में प्रकाशन दिनांक    | - | 10/05/2026                  |
| 2. निविदा रिलीज करने का दिनांक                | - | 11/05/2026 14:00 बजे        |
| 3. निविदा प्रपत्र क्रय करने का प्रारंभ दिनांक | - | 11/05/2026 14:30 बजे से     |
| 4. निविदा दर प्रस्तुत करने का प्रारंभ दिनांक  | - | 11/05/2026 समय 14:30 बजे से |
| 5. निविदा दर प्रस्तुत करने का अंतिम दिनांक    | - | 22/05/2026समय 17:30 बजे तक  |
| 6. निविदा खुलने का दिनांक                     | - | 25/05/2026 समय 11:00 बजे से |

2- ऑन लाईन बिड जमा करते समय अपलोड किये जाने वाले अनिवार्य दस्तावेज:-

Envelope- A:-

1. जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र या पंजीयन नवीनीकरण की रसीद तथा आर्गनाइजेशन डिटेल् एनेक्जर-H में।
2. अमानत राशि ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से ही भुगतान की जानी है, जिसके भुगतान के संबंध में ट्रांजेक्शन नं/रसीद अपलोड करना अनिवार्य है। (अमानत राशि ऑनलाईन भुगतान ही मान्य होगी )
3. शपथ पत्र राशि रुपये 200/- की मूल प्रति स्केन कर अपलोड करना अनिवार्य है। (मय नोटरी) (प्रत्येक कार्य/पैकेज के लिये पृथक-पृथक शपथ-पत्र प्रोफार्म-बी) (Annexure- B)
4. पेन कार्ड की प्रति।
5. जीएसटी नंबर प्रमाण पत्र।

Envelope- B :-Pre Qualifications Criteria :-निविदाकार के पास :-

(As per Annexure C of Tender Document 2.10)

The bidder should have:-

i सफलतापूर्वक संपादित किये गये निर्माण कार्यों का अनुभव:-

- a) पिछले 05 वित्तीय वर्षों में 03 समान प्रकार के कार्य, जिसमें प्रत्येक की लागत, निविदा लागत (PAC) की 20 प्रतिशत राशि से कम नहीं होना चाहिये अथवा
- b) पिछले 05 वित्तीय वर्षों में 02 समान प्रकार के कार्य, जिसमें प्रत्येक की लागत, निविदा लागत (PAC) की 30 प्रतिशत राशि से कम नहीं होना चाहिये अथवा
- c) पिछले 05 वित्तीय वर्षों में से किसी 01 वित्तीय वर्ष में 01 समान प्रकार का कार्य, जिसकी कुल लागत, निविदा लागत (PAC) के 50 प्रतिशत राशि से कम नहीं होना चाहिये।

ii पिछले 05 वित्तीय वर्षों में निर्माण कार्यों का औसतन टर्न ओवरनिविदा लागत (PAC) की 50 प्रतिशत राशि से कम नहीं होना चाहिये।

iii पिछले 05 वित्तीय वर्षों में से किसी 01 वित्तीय वर्ष में संपादित किया गया समान आयटम का निर्माण कार्य, जो कि चाही गई भौतिक आवश्यकता (Physical requirement) से कम नहीं होना चाहिये।

iv वित्तीय क्षमता (Bid Capacity) - निविदाकार को उसके पास उपलब्ध वित्तीय क्षमता तक कार्य आवंटित किये जावेगे। वित्तीय क्षमता का आंकलन निविदा प्रपत्र 2.10 के प्रपत्र I के प्रपत्र I-2 के अनुसार किया जावेगा तथा एनेक्जर I-1 से I-5 अपलोड किये जावे।

- नोट :-
1. वार्षिक टर्नओवर चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित होना चाहिये।
  2. उक्त वित्तीय वर्षों की आडिटेड बैलेंस शीट अपलोड करें।

Envelope- C :- निविदाकार द्वारा निविदा दर जो कि ऑन लाईन निर्धारित BOQ.xls formatमें ही प्रस्तुत करनी होगी।

### 3- निविदाकार हेतु शर्तें :-

1. निविदा प्रपत्र 2.10 का ठीक प्रकार से अध्ययन कर लें। समस्त निविदाकारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम दिवस की प्रतीक्षा न करें तथा अपनी बिड शीघ्रतिशीघ्र प्रस्तुत करें। वेबसाईट में किसी प्रकार की असुविधा के लिये विभाग उत्तरदायी नहीं है। किसी भी निविदाकार के चाहने पर निविदा प्रस्तुत करने की तिथि में वृद्धि नहीं की जावेगी।
2. निविदाकार भली-भाँति उक्त कार्य हेतु जी-शेड्यूल का अवलोकन कर लें। जी- शेड्यूल में समाहित सभी कार्य करना अनिवार्य है। प्राक्कलन एवं ड्राईंग का अवलोकन संबंधित कार्यालय कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग में कर लेवे।
3. निविदा प्रपत्र वेबसाईट <https://www.mptenders.gov.in> पर ऑनलाईन भुगतान कर (टेंडर डाक्यूमेंट) क्रय एवं जमा किया जा सकता है।
4. शपथ पत्र राशि रूपये 200/- की मूल प्रति (मय नोटरी) स्कैन कर अपलोड करना अनिवार्य है। शपथ-पत्र में पूर्ण रूप से निर्धारित प्रारूप (Annexure- B)में जानकारी भरें अन्यथा की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।
5. प्रत्येक निविदा के साथ निविदाकार को ऑनलाईन बिड जमा करते समय निविदा में उपरोक्तानुसार उल्लेखित दस्तावेज आवश्यक रूप से अपलोड करना अनिवार्य है।
6. निविदाकार को भौतिक (फिजीकल) रूप से कोई भी दस्तावेज कार्यालय में जमा नहीं करने है। समस्त दस्तावेज ऑनलाईन .pdf या .rar(चाहे अनुसार) ही प्रस्तुत/अपलोड करने है।
7. अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक 7409/22/वि-10/ग्रायांसेवा/2024 भोपाल दिनांक 05.11.2024 के अनुसार रु. 1.00 करोड़ से अधिक लागत की निविदाओ के लिये निविदा प्रपत्र 2.10,ANNEXURE-C के अनुसार प्री- क्वालिफिकेशन की शर्तें लागू होगी।
8. डमारीकृत मार्ग हेतु प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा भोपाल के पत्र क्रमांक 2963/22/वि-10/ग्रायांसेवा/2023/भोपाल दिनांक 28.04.2023 द्वारा जारी संशोधन भी लागू होगा।

9. निर्माण कार्य संबंधी अन्य विवरण/जानकारी (ड्राईंग, डिजाईन एवं शर्तें) संबंधित कार्यालय कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखी जा सकती है।
10. निविदाकार के द्वारा ऑनलाईन अपलोड किये गये समस्त दस्तावेज (निविदा शर्तों के अनुसार) दस्तावेज सही पाये जाने पर ही वित्तीय आफर ऑन लाईन कार्यालय अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, आयुक्त कार्यालय परिसर, एमजी रोड इंदौर में निर्धारित तिथि को खोले जावेगे।
11. निर्माण कार्य हेतु नॉन एसओआर आयटमों का संपादन विधिवत् सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन पश्चात् कराया जावे।
12. निविदाकार निविदा प्रतिस्पर्धा में भाग लेने के पूर्व संबंधित कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग से संपर्क कर, कार्य स्थल का ठीक प्रकार से निरीक्षण आवश्यक रूप से कर लेवे तथा निर्माण कार्य में उपयोग होने वाली निर्माण सामग्री की उपलब्धता/ परिवहन के संबंध में भी भली-भाँति अवलोकन कर लेवे, जो निविदाकार के लिये श्रेयश्कर होगा।
13. अमानत राशि (ऑनलाईन) संबंधित कार्यालय कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग के पक्ष में देय होगी।
14. यदि कोई ठेकेदार एक से अधिक फर्मों में पार्टनर अथवा प्रो० हो तो ऐसी फर्मों द्वारा एक ही कार्य के लिये अलग-अलग निविदा प्रस्तुत नहीं की जावें। अन्यथा एक से अधिक फर्मों द्वारा प्रस्तुत निविदायें निरस्त कर दी जावेगी, जिसका अंतिम निर्णय सक्षम प्राधिकारी का होगा।
15. निविदाकार किसी भी विभाग में ब्लेक लिस्टेड नहीं होना चाहिये। यदि ऐसा पाया जाता है तो, संबंधित निविदाकार/ठेकेदार की निविदा/अनुबंध समाप्त कर दिया जावेगा तथा ई.एम. डी. राजसात कर ली जावेगी।
16. श्रम संविदा एक्ट के अंतर्गत जीवित लेबर लायसेन्स होना चाहिये। श्रम विभाग द्वारा निर्धारित दरों पर मजदूरी का भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा। विवाद की स्थिति में ठेकेदार स्वयं उत्तरदायी होगा।
17. कार्य के दौरान किसी भी श्रमिक की दुर्घटना का उत्तरदायित्व संबंधित ठेकेदार का होगा।



18. विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/वनक्षेत्र आदि में लागू नियमों के पालन का उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा।
19. परफार्मेंस सिक्योरिटी के रूप में अनुबंध राशि के 5 प्रतिशत राशि (Valid Construction period +3 month) की राष्ट्रीकृत/कर्मिशियल बैंक की एफडीआर संबंधित कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के पक्ष में अनुबंध करते समय कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगी।
20. सिक्योरिटी डिपोजिट के रूप में 5 प्रतिशत राशि देयक से काटी जावेगी, जो डिफेक्टिव लायबिलिटी की गारंटी अवधि कार्य पूर्णता की तिथि के 24 माह पश्चात नियमानुसार वापस की जावेगी।
21. अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक 7409/22/वि-10/ग्रायांसेवा/2024 भोपाल दिनांक 05.11.2024 के अनुसार निविदाकार द्वारा निविदा की दरें कार्य हेतु एस.ओ.आर. से 10 प्रतिशत BELOW दर से भी अधिक BELOW दर प्रस्तुत की जाती है तो, इनमें अनुबंध के पूर्व सफल ठेकेदार से एस.ओ.आर. से 10 प्रतिशत BELOW दर के उपरान्त प्रस्तुत दर के अंतर की अतिरिक्त परफार्मेंस गारंटी, जो कि संबंधित कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के पक्ष में देय हो, जमा करानी होगी।
22. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा पंजीकृत फर्म को एफ.डी.आर एवं अन्य शुल्कों में प्राप्त छूट मान्य नहीं की जावेगी।
23. कार्य में किसी भी प्रकार का विलंब होने पर अथवा किन्ही भी परिस्थितियों में मूल्य वृद्धि देय नहीं होगी।
24. निविदा स्वीकृति के 15 दिवस में निविदाकार को अनुबंध करना होगा अन्यथा सक्षम अधिकारी को अधिकार होगा कि संबंधित निविदाकार की एफडीआर राजसात कर, कार्य की पुनः निविदा आमंत्रण कर सकेंगे।
25. निविदाकार द्वारा अनुबंध करने के पश्चात 15 दिवस के भीतर कार्य प्रारंभ नहीं किया जाता है, तो स्वीकृत निविदा स्वतः निरस्त हो जावेगी तथा सक्षम अधिकारी को अधिकार होगा कि निविदाकार द्वारा जमा राशि एफडीआर तथा परफार्मेंस सिक्योरिटी की राशि राजसात कर पुनः निविदा आमंत्रण की कार्यवाही की जावेगी।




26. निविदाकार को निविदा में उल्लेखित कार्य की समानुपातिक रूप से प्रगति देते हुये निर्माण कार्य समयावधि में पूर्ण करना अनिवार्य होगा।
27. निर्माण कार्यो में कोर्स रोण्ड अथवा मानक गुणवत्ता की रेत का ही उपयोग करना अनिवार्य होगा।
28. प्रत्येक देयक के भुगतान के साथ खनिज गौण संपदा का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा अन्यथा नियमानुसार प्रत्येक देयक से उपयोग की गई सामग्री का रायल्टी कटौती किया जावेगा।
29. कार्य में प्रयुक्त होने वाली सामग्री का उपयोग उल्लेखित मेन्डेटरी टेस्ट सूची अनुसार प्रयोगशाला परीक्षण कराये जाने के उपरांत किया जावे एवं कार्य संपादन के दौरान किये जाने वाले निर्धारित आवश्यक परीक्षण किया जाना अनिवार्य होगा।
30. ठेकेदार को विभाग द्वारा निर्धारित स्पेशीफिकेशन/अनुबंध की शर्तों एवं प्राक्कलन में किये गये प्रावधान के अनुसार निर्माण कार्य संपादित करना अनिवार्य होगा।
31. ठेकेदार को निर्माण से संबंधित संरचनात्मक (स्ट्रक्चरल) आर.सी.सी. डिजाईन का अनुमोदन कार्य प्रारंभ के पूर्व शासकीय इंजीनियरिंग/पॉलिटेक्निक कॉलेज/एन.ए.बी.एल. लैब से करवाकर, संबंधित कार्यालय कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभागको प्रस्तुत करना होगा। तत्संबंध में शुल्क का वहन ठेकेदार को करना होगा।
32. कार्य स्थल पर निर्माण सामग्री की सुरक्षा/देखरेख की जिम्मेदारी निविदाकार की होगी।
33. विकास आयुक्त कार्यालय म.प्र.भोपाल का पत्र क्रमांक 4162/22/वि-10/ग्रायांसे/ 2015 भोपाल दिनांक 24.07.2015 लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी नवीन निविदा प्रपत्र ऐपेंडिक्स 2.10 में बिड डाटा एवं कान्ट्रेक्ट डाटाशीट में किये गये संशोधन नियम लागू होंगे।
34. निविदा प्रपत्र में निहित प्रावधान अनुसार ठेकेदार को कार्य हेतु दी गई समयावधि के एक चौथाई, आधे एवं तीन चौथाई भाग में निर्धारित माईल स्टोन अनुसार कार्य करना बंधनकारी होगा।
35. जी.एस.टी. के संबंध में शासन द्वारा वर्तमान एवं भविष्य में समय-समय पर नियत किये जाने वाले "कर" का पालन किया जाना अनिवार्य होगा तथा संबंधित ठेकेदार के रनिंग देयकों से "GST" का नियमानुसार कटौती/भुगतान किया जावेगा।
36. निविदाकार को वर्क प्रोग्राम प्रस्तुत करना होगा। निविदा प्रपत्र 2.10 के बिड डाटा शीट अनुसार निविदाकार द्वारा कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम प्रस्तुत नहीं करने पर 50,000/- प्रतिमाह,



फील्ड लेबोर्टरी स्थापित नहीं करने पर 50,000/- रुपये प्रतिमाह एवं निर्धारित तकनीकी अमले को नहीं लगाने पर 25,000/- रुपये प्रतिमाह पेनाल्टी की कार्यवाही की जावेगी। वर्क प्रोग्राम के अनुसार अपेक्षित प्रगति नहीं देने पर ठेकेदार का अनुबंध निरस्त किया जाकर अनुबंधानुसार कार्यवाही की जावेगी।


37. यदि निविदाकार द्वारा समय अवधि में कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है, तो निविदा प्रपत्र ऐपेंडिक्स 2.10 की कंडिका 15 अनुसार अर्थदण्ड की कार्यवाही की जावेगी।
38. विधुत कार्य सिविल ठेकेदार द्वारा केवल ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों को नियुक्त करके किया जावेगा, जिनके पास राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी उचित वैद्य विधुत लायसेन्स हो। अनुबंध के समय ठेकेदार को उक्त लायसेन्स की एक प्रति संलग्न करनी होगी।
39. निविदा स्वीकृत करने व अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा। निविदा से संबंधित किसी भी वाद-विवाद पर सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।


  
अधीक्षण यंत्री,  
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा  
इंदौर मण्डल इंदौर  
इंदौर, दिनांक 07/5/2026

पृष्ठा.क्र. 674/निविदा./ग्रायांसेवा/2026  
प्रतिलिपि:-

1. विकास आयुक्त, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल।
2. प्रधान महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर प्रथम टी0सी0-4।
3. प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, विकास भवन, पंचम तल म.प्र. भोपाल।
4. मुख्य अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा इंदौर परिक्षेत्र इंदौर।
5. कलेक्टर जिला .....
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत .....
7. कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग(समस्त) .....
8. म0प्र0 शासकीय ठेकेदार एसोसिएशन-32 सुंदर नगर, पिपलानी, बी0एच0ई0एल0 भोपाल।
9. सूचना पटल पर चरपा हेतु।

**अनुमोदित**

  
Chief Engineer  
Rural Engineering Services  
Indore Zone, Indore

  
अधीक्षण यंत्री,  
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा  
इंदौर मण्डल इंदौर